



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट- <http://samvad.cg.nic.in/> फोन नं. 0771-2512580

क्रमांक 3568 / छगसं. / क्षे. प्र. / 2025

नवा रायपुर, दिनांक 01 / 12 / 2025

सिटी बसों के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए इम्पैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा सिटी बसों के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु इम्पैनलमेंट के लिए निविदा के अनुमोदित दर पर इस कार्य में रुचि रखने वाले फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

रुचि की अभिव्यक्ति के प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की तिथियां निम्नानुसार है :-

प्रपत्र का शुल्क	रुपये 1,180 / - (जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रुपये 1,00,000 / - (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 31 / 12 / 2025 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 31 / 12 / 2025 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र खोलने की तिथि	दिनांक 31 / 12 / 2025 समय 4:00 बजे सायं से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

सिटी बसों के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम-मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारीयों, उपलब्धियों के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।
2. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा सिटी बसों के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु निविदा के अनुमोदित न्यूनतम दर पर इस कार्य में रुचि रखने वाले फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

3 उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :-

शासन की विभिन्न विभागों, निगम, मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है।

4. इम्पैनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें:-

निविदाकर्ता फर्मों को टेक्निकल बिड में निम्नलिखित दस्तावेज ऑफलाईन बंद लिफाफा में जमा किया जाना है :-

- (i) पैन कार्ड की प्रति।
- (ii) Assessment Year 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 अथवा Assessment Year 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के आयकर रिटर्न की प्रति जमा करना होगा।
- (iii) चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 अथवा वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 तीन वर्षों का औसतन न्यूनतम टर्नओवर राशि रु. 10 लाख यू.डी.आई.एन. अंकित टर्नओवर प्रमाण-पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- (iv) निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1,180/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 1,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-

Account Name : Chhattisgarh Samvad
Bank Name : Indian Bank
Branch Name : Sector-27, Nawa Raipur (C.G.)
Saving Account No. : 20246301259
IFSC Code No. : IDIB000N571

5. फर्मों के पास सिटी बसों में विज्ञापन करने की अनुमति नगर पालिक निगम/अर्बन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सोसायटी से होना अनिवार्य है।
6. फर्मों को नगर पालिक निगम/अर्बन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सोसायटी से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति एवं निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
7. छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सूची में डाले गये फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में फर्म को निर्धारित प्रारूप में राशि रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सूची में नहीं

डाला गया है। शपथ-पत्र की मूल प्रति बंद लिफाफा में तकनीकी बिड के साथ संलग्न कर जमा किया जाना है।

- 8 निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज ऑफलाईन एक ही बंद लिफाफे में जमा किया जाना है।
- 9 सिटी बसों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु आमंत्रित निविदा का अनुमोदित दर निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	अवधि	अनुमोदित न्यूनतम दर
1	सिटी बस- दर प्रति वर्गफीट प्रति माह प्रति बस (प्रिंट मटेरियल एवं माउंटिंग सहित) दर	7-दिन	70 / -
		15-दिन	100 / -
		1-माह	150 / -
		3-माह	150 / -
		6-माह	140 / -
2	सिटी बस - डिजाइन परिवर्तन होने पर अतिरिक्त प्रति वर्गफीट की दर(प्रिंट मटेरियल एवं माउंटिंग सहित)		20 / -

नोट:- उपरोक्त दरों के अलावा जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

- 10 निविदाकार द्वारा बसों में विज्ञापन हेतु NGT(National Green Tribunal) एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई भी प्रतिबंधित मटेरियल नहीं उपयोग किया जाना है। यदि बस में विज्ञापन के समय संबंधित एजेन्सी इस प्रकार के कोई भी शासन द्वारा प्रतिबंधित मटेरियल उपयोग किये जाने पर छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा तत्कालिक प्रभाव से अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- 11 समय सीमा व वांछित गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संवाद गठित समिति या संवाद / विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से परीक्षण कराया जायेगा। कार्य वांछित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से राशि कटौती कर भुगतान किया जावेगा। गुणवत्ता या कार्य में गंभीर खामियां हाने पर देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं L1 एजेंसी द्वारा कार्य नहीं करने पर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी ओर संबंधित एजेन्सी को आगामी 1वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा।
- 12 दो माह का कार्यादेश पर एक माह की दर से दो माह का अनुपातिक गणना कर भुगतान किया जायेगा तथा चार एवं पांच माह का कार्यादेश पर तीन माह के लिये प्राप्त दर में अनुपातिक दर पर गणना कर चार एवं पांच माह का भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार सात माह एवं अधिक के लिये कार्यादेश प्राप्त होने पर छः माह के लिये प्राप्त दर पर गणना कर अनुपातिक रूप से भुगतान किया जायेगा।
- 13 कार्य पूरा करने के पश्चात् संबंधित विभाग से संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र बसों के विवरण के साथ लगाए गए विज्ञापन की सूची एवं छायाप्रति (2 -2 प्रतियां में) के साथ देयक प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभाग से निरीक्षण

कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद शासन की एक एजेंसी है एवं संबंधित विभाग के कार्यादेश अनुरूप फर्मों से कार्य कराया जाता है। इसलिए संबंधित विभाग द्वारा कार्य एवं देयक सत्यापन पश्चात् भुगतान करने पर कार्य पूर्ण माना जायेगा। छत्तीसगढ़ संवाद शासन की एक एजेंसी है एवं संबंधित विभाग के कार्यादेश अनुरूप फर्मों से कार्य कराया जाता है। इसलिए संबंधित विभाग द्वारा कार्य एवं देयक सत्यापन पश्चात् भुगतान करने पर कार्य पूर्ण माना जायेगा।

14. रुचि की अभिव्यक्ति में इम्पैनलमेंट की अवधि 01 अप्रैल 2027 तक के लिए मान्य होगी। समय अवधि में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा। इसके पश्चात् अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।
15. एजेन्सी द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि एजेन्सी को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।
16. पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य/कार्यादेश नहीं दिया जायेगा।
17. तकनीकी बिड खोलने के पश्चात् फर्म द्वारा निविदा पंजीकृत करने की स्थिति में अथवा फर्म द्वारा जमा कोई दस्तावेज/जानकारी गलत या जाली शाबित होती है तो फर्म द्वारा जमा अमानत राशि जब्त किया जाएगा
18. इम्पैनलड फर्मों को नगर पालिक निगम से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति पत्र छत्तीसगढ़ संवाद में जमा करना होगा। जिससे बसों की सूची में शामिल किया जा सके।
19. संबंधित कार्यालय नगर पालिक निगम से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति की वैध अवधि तक ही कार्यादेश जारी किया जाएगा। निर्धारित अवधि पश्चात् नवीनीकरण होने पर छत्तीसगढ़ संवाद में संबंधित वैधता दस्तावेज उपलब्ध कराने की स्थिति में अनुबंधित अवधि तक प्रचार-प्रसार कराया जा सकेगा।
20. रुचि की अभिव्यक्ति स्वीकृत होने पर फर्म को राशि रु. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
21. आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :-किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
22. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर (छ.ग.)

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ-पत्र

मैं—संस्था प्रमुख निवासी—छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था—किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान —————

दिनांक —————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर